

कार्यालय संभागीय उपायुक्त
अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य
नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद

क्रमांक/शिक्षा.स्था.3/ 2130

/मा.शि./2021/

होशंगाबाद दिनांक 29/12/21

//आदेश//

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 24.06.2021 को जारी किया गया । इस क्रम में जारी प्रावधिक चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षक के पद पर हिन्दी विषय में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है ।

Sr	NAME	ADDRESS	ROLLNO	RANK	CATEGORY	SELECTED CATAGORY	POSTING PLACE	DISTRICT-BLOCK
1	ARVIND SINGH YADAV	NILL VILLAGE DHUDURU POST BARKHEDA HAT GUNA GUN MADHYA PRADESH 473101	85108991	31	OBC	UR/X/OP	HS Kesla- 23370406507	HOSHANGABAD- KESLA
2	NIDHI KATARE	VILL DHAND POST BHANGARH BINA BINA SAG MADHYA PRADESH 470113	85063450	64	EWS	UR/X/F	Kanya High School Kesala- 23370406508	HOSHANGABAD- KESLA
3	VIRENDRA SINGH RAJAWAT	VILL THANUPURA POST BISWARI TEHSIL MIHONA MIHONA BHD MADHYA PRADESH 477441	84837887	84	EWS	EWS/X/OP	High school taku- 23370407703	HOSHANGABAD- KESLA

4	SANYOGITA DANGI	GRAM KHIRIYA POST PIPRAHA PIPRAHA TEONDA VID MADHYA PRADESH 464331	85061778	97	OBC	OBC/X/F	High School Bhargada- 23370409203	HOSHANGABAD- KESLA
5	POOJA SANGYA	824 KILE KE PASS DIGORA JATARA TKG MADHYA PRADESH 472339	85062032	98	EWS	EWS/X/F	HSS Sankheda- 23370405907	HOSHANGABAD- KESLA
6	PARMAL SINGH DHAKAD	252 VIAYPUR VIJAYPUR RAGHOGARH GUN MADHYA PRADESH 473110	84886417	102	OBC	GF/UR/X/ OP	High School Gajpur- 23370404703	HOSHANGABAD- KESLA
7	NIDHI PAGARE	2/1 WARD NO 08 PAGARE COLONY SEONI MALWA HBD MADHYA PRADESH 461223	84670140	140	EWS	GF/UR/X/ F	HSS jamani- 23370402209	HOSHANGABAD- KESLA
8	AMIT LODHI	135 BAMHORI KASBA BAMHORI KASBA SILWANI RSN MADHYA PRADESH 464672	84658777	162	OBC	OBC/X/OP	HSS Suktawa- 23370413701	HOSHANGABAD- KESLA
9	ASHOK MALVIYA	58 AT DOHLAN POST BIHRAGAOM BAJRANG CHOWK MULTAI BET MADHYA PRADESH 460666	84950006	188	SC	GF/SC/X/ OP	M.S.ATHNER- 23350200709	BETUL-ATHNER

10	RAJNANDNI RAJPUT	PIPARIYA KHURD POST BANSKHEDA GADARWARA GADARWARA NSP MADHYA PRADESH 487661	84774353	203	EWS	EWS/X/F	HSS Bandari- 23370400703	HOSHANGABAD- KESLA
11	KEERTI BHARGAVA	LIG B 307 E-7 ARERA COLONY BHOPAL BHP MADHYA PRADESH 462016	84771940	206	EWS	EWS/X/F	HSS Tawanagar- 23370414105	HOSHANGABAD- KESLA
12	KAMLESH KUMAR AHIRWAR	461 VILLAGE POST BHARKACHCH KALAN BHARKACHCH KALAN BARI RSN MADHYA PRADESH 464665	84670204	261	SC	SC/X/OP	HSS Bichhua- 23370405503	HOSHANGABAD- KESLA
13	PINKY AHIRWAL	0 VILL BEHRAMPUR TEMA POST BEHRAMPUR TEMA TEH GOGAWAN KRG MADHYA PRADESH 451001	84757634	375	SC	GF/SC/X/F	HSS Sadhapura- 23370411802	HOSHANGABAD- KESLA
14	SEEMA KUSHWAHA	H NO 400 VILLAGE DHAMARRA POST DHAMARRA TH BERASIA BHP MADHYA PRADESH 462101	84667753	468	OBC	GF/OBC/X /F	High school dadiwada- 23370409804	HOSHANGABAD- KESLA
15	POORAN SINGH	25 VILLAGE NAYAGAON POST NAYAGAON BHIND BHD MADHYA PRADESH 477333	84835621	604	SC	GF/SC/X/ OP	High School Jamundol- 23370411103	HOSHANGABAD- KESLA

548

16	SUNITA AHIRWAR	11 A LAXMAN NAGAR DANA PANI ROAD BHOPAL BHP MADHYA PRADESH 462039	84663807	646	SC	SC/X/F	High school Jhunkar- 23370408603	HOSHANGABAD- KESLA
17	GEETA DEVI BANSHKAR	0 VILLAGE AND POST HEERA NAGAR TIKAMGARH TIKAMGARH TKG MADHYA PRADESH 472001	85062369	824	SC	SC/X/F	HSS Kohda- 23370412304	HOSHANGABAD- KESLA
18	NARAYAN SINGH AHIRWAR	WARD NO 17 NEAR ICE FACTORY HOUSING BOARD COLONY RAISEN RSN MADHYA PRADESH 464551	84669914	1069	SC	SC/X/OP	HS DODRAMAU- 23351007105	BETUL-SHAHPUR
19	GANGARAM SONIYA	WARD NO 33 SANAJY NAGAR GWALTOLI HOSHANGABAD HBD MADHYA PRADESH 461001	84668856	1323	SC	SC/X/OP	HS JHAPDI- 23351005104	BETUL-SHAHPUR
20	MANOJ KUMAR SAGER	WARD NO 01 VILLAGE SIMARIYA TAL DABRA DABRA GWL MADHYA PRADESH 475110	84837795	1341	SC	GF/SC/X/ OP	HSS BOYS SARNI- 23350704213	BETUL- GHORADONGRI
21	RAJESH PANTHI	01 WARD NO-03 NAYA PURA LATERI LATERI LATERI VID MADHYA PRADESH 464114	84670199	1732	SC	GF/SC/X/ OP	HS KAUDIYA- 23350401104	BETUL- BHAINSDEHI

34

22	SANDHYA AHIRWAR	GRAM DILLOD NEAR HIGH SCHOOL BERASIA ROAD BERASIA BHP MADHYA PRADESH 462101	84663368	2360	SC	SC/X/F	EXL.HSS ATHNER- 23350200718	BETUL-ATHNER
23	SHIVANI AMAIYA	B 54 SWAMI VIVEKANAND PARISAR KATARA HILLS BHOPAL BHP MADHYA PRADESH 462043	84668923	2555	SC	SC/X/F	HSS GIRLS BHAINSDEHI- 23350413315	BETUL- BHAINSDEHI
24	ANITA GADHWAL	18 WARD NO 08 VILLAGE POST PAWARKHEDA BASTI HOSHANGABAD HBD MADHYA PRADESH 461110	84886590	2675	SC	GF/SC/X/F	HS JAWRA- 23350202704	BETUL-ATHNER
25	ARVIND BHALAVI	VILL SOHAGPUR POST SOHAGPUR SAPNA BANDH TEHSIL BETUL BETUL BET MADHYA PRADESH 460004	85043339	2785	ST	ST/X/OP	M.S.G.GHORADO NGRI- 23350705407	BETUL- GHORADONGRI
26	SWARUP SINGH	Q VILL LASUDIYA RAM POST BHAUNKHEDI ICHHAWAR SEH MADHYA PRADESH 466115	84769752	32121	OBC	OBC/S/OP	HS MENDHACHINDW AD-23350204304	BETUL-ATHNER

3. उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छठवां वेतनमान 9300-34800 + 3200 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-8 में तत्स्थानी वेतनमान 32800-103600 के न्यूनतम वेतन रुपये 32800/-, अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश

544

शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क. (ब) के अनुक्रम में म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 संशोधित नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर वृत्तमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4. यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक न करने पर म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 संशोधित नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

5. संबंधित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के नुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6. संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। माध्यमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूलप्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। अभिलेखों का सम्यापन मूल दस्तावेज से जिले के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे जिसकी सूची निम्नानुसार है :-

- I. नियुक्ति आदेश
6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाई नंबर, ई-मेल एड्रेस
- II. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS)
- III. मूल निवासी प्रमाण पत्र
- IV. निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैद्य प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है। अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है)
- V. अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है)
- VI. शासकीय सेवा की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्याग पत्र की पावती प्रति
- VII. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- VIII. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोरकार्ड
- IX. चरित्र सत्यापन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी-3/15/2012/1/तीन दिनांक 24.11.2012 के अनुसार शपथ पत्र (परिशिष्ट-एक)

7. संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
8. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी एवं इसके किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
9. परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुसार किया जावेगा।
10. परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति पर परिवीक्षा अवधि, अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए आगे बढ़ा दी जायेगी।
11. संबंधित का आगामी 3 वर्षों तक सामान्य स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
12. अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जायेगा।
13. आवासीय विद्यालयों में जहाँ आवासीय सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी।
14. इस जारी आदेश में पोस्टिंग प्लेस पर वर्तमान स्थिति में पद रिक्त न होने की दशा में, ऐसे अभ्यर्थी को तत्समय रिक्त पदों वाली अन्य संस्थाओं में पदस्थी का विकल्प रहेगा। नवीन विकल्प पर पदस्थापना मैरिट एवं अन्य मापदंडों अनुसार की जा सकेगी।

विशेष टीप:- यदि चरित्र/जाति/निःशक्ता/शैक्षणिक इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।


29-12-2021
(जे.पी. यादव)
संभागीय उपायुक्त
अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग
नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. महालेखाकार म.प्र. भोपाल
5. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
6. आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद।
7. कलेक्टर, होशंगाबाद/हरदा/बैतूल।
8. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग होशंगाबाद/बैतूल/हरदा की ओर सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता/पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
9. जिला कोषालय अधिकारी, होशंगाबाद/बैतूल/हरदा।
10. संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला होशंगाबाद/बैतूल/हरदा।
11. संबंधित संकुल प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला होशंगाबाद/बैतूल/हरदा।
12. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक को अपनी उपस्थिति देवें।

29/12-2021

संभागीय उपायुक्त

अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग
नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद

परिशिष्ट -1

// शपथ पत्र //

प्रारूप

फोटो

मैं.....आयु.....पुत्र/पुत्री/पत्नि
निवासी..... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ-

1. यह मेरा चयन.....पद पर हुआ है ।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है ।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है ।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है ।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है ।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविधालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है ।
7. यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारी दी है एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वे पूर्णतः सही एवं सत्य हैं ।
8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, यदि उनमें कोई भी जानकारी/दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा ।
9. यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरा नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है और यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा ।
10. यह कि मेरी दो से अधिक जीवित संतान में किसी का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् नहीं हुआ है ।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की कड़िका क्रमांक 1 लगायत 9 में दी गई समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान में एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही हैं, जिनका सत्यापन आज दिनांक को.....में किया गया है ।

शपथग्रहिता